संख्या-11/2016/वे0आ0-2- 262/दस-2016-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 29 फरवरी, 2016

विषय- राजकीय विभागों के अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय विभागों के अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुआ। उक्त प्रक¬रण पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को मुख्य सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

2- मुख्य सचिव समिति की उपर्युक्त बैठक दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है। कृपया अवगत होना चाहें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-11/2016/वे0आ0-2-262(1)/दस-2016-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मुख्य सचिव समिति की दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :—

(i) श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव वित्त विभाग —सदस्य
(ii) श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग —सदस्य
(iii) श्री आर0पी0 सिंह, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग —सदस्य
(iv) श्री अजय अग्रवाल, सचिव वित्त विभाग —सदस्य सचिव

2— मुख्य सचिव समिति की बैठक हेतु निर्धारित एजेन्डा के अनुसार राजकीय विभागों के अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित विषय को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उक्त के सम्बन्ध में बैठक में मुख्य सचिव समिति को निम्नवत् अवगत कराया गया :—

(1) वेतन समिति(2008) के नवम् प्रतिवेदन(भाग—2) में सांख्यिकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों से शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—2061/दस—54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 द्वारा प्रदेश के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव को संसूचित किया गया। राजकीय विभागों के सांख्यिकीय संवर्ग के सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रू0 4600/— एवं अपर सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रू0 4800/— अनुमन्य किये जाने की माँग से सम्बन्धित राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् के पत्रांक—1460/2015, दिनांक 03 अक्टूबर, 2015 तथा उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय सेवा परिसंघ के पत्रांक—मे0मो0/सा0—से0—प0/2015—16,दिनांक 05 अक्टूबर, 2015 पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रकरण को मुख्य सचिव समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के क्रम में प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित किया गया है।

(2) अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग के प्रथम स्तर के पद सहायक

सांख्यिकीय अधिकारी की शैक्षिक अर्हता परास्नातक के साथ "ओ" लेवल डिप्लोमा होने के आधार पर उच्चीकृत ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य कराये जाने की मॉग/प्रस्ताव से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है :–

(i) उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय सेवा परिसंघ के पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2015 एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 03 अक्टूबर, 2015 के द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर परास्नातक के साथ–साथ ओ लेवल डिप्लोमा योग्यता के आधार पर वर्तमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 4600/– तथा इसी क्रम में पर्यवेक्षकीय पद अपर सांख्यिकीय अधिकारी हेतु अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 4600/– के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 4800/– किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(ii) आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक के पत्र दिनांक 10 अप्रैल, 2014 द्वारा अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के पदधारकों के कार्य एवं उत्तरदायित्वों का मूल्यांकन कर प्रथम स्तरीय पद सहायक सांख्यिकीय अधिकारी का ग्रेड वेतन रू0 4200/– से रू0 4600/– व अपर सांख्यिकीय अधिकारी का ग्रेड वेतन रू0 4600/– से रू0 4800/– किये जाने की संस्तुति की गयी है।

(iii) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, मा0 विधायक, विधूना, औरेया के पत्र दिनांक 11 मार्च, 2015 द्वारा सहायक शोध अधिकारी/ सांख्यिकीय अधिकारी का ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर रू0 4600/– स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(iv) उक्त मांग/प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्न आधार पर दिये गये हैं :–

(क) प्रदेश में अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग के प्रथम स्तर के पद के पदधारकों द्वारा सम्पादित कार्यों का अध्ययन एवं मूल्यांकन कर कार्य की

गुणवत्ता व कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर उच्च अर्हता (परास्नतक के साथ ओ लेवल डिप्लोमा) निर्धारित की गई है। सांख्यिकीय कार्य विशिष्ट प्रकार का होने, कार्यात्मक आवश्यकता तथा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता पर विचार कर की गई संस्तुतियों पर लिये गए निर्णय के अनुसार शैक्षिक योग्यता को उच्चीकृत करने का संशोधन किया गया है। अधीनस्थ सांख्यिकीय कर्मी केन्द्रीय/प्रान्तीय सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ–साथ विकास खण्ड/जिला/ मण्डल/राज्य स्तर पर प्रगति रिपोर्ट को तैयार करना, जनपद/राज्य आय निर्धारित करना, विभिन्न प्रकार के सूचकांक बनाना, सूचकांक हेतु बास्केट का निर्धारण करना। पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना तैयार करने में मुख्य भूमिका प्रदान करना तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति का अनुश्रवण, मूल्यांकन के साथ–साथ निरीक्षण, परिवेक्षण तथा भौतिक सत्यापन का महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित करते हैं।

कार्य एवं दायित्व को दृष्टिगत रखते हुए सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय) के पद की शैक्षिक अर्हता **गणित/ सांख्यिकीय/ अर्थशास्त्र/ वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कम्प्यूटर में 'ओ' लेवल डिप्लोमा** निर्धारित की गयी है। जबकि भारत सरकार के सांख्यिकीय सेवा के प्रथम स्तर पद की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता **स्नातक** निर्धारित है।

(ख) सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय), समाजशास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक, कॉमन कैडर के पद है।

समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद की शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि निर्धारित है। इन पदों पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य कराया जा चुका है, जबकि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर ग्रेड वेतन रू0 4200/– ही निर्धारित है।

(ग) प्रदेश सरकार के कतिपय पद जिन पर केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर केन्द्र के समान वेतनमान प्रदत्त किये गये थे, उन पदों के पदधारकों द्वारा केन्द्रीय कर्मियों से उच्चतर कार्य एवं उत्तरदायित्वों का निवर्हन किये जाने के आधार पर वेतनमानों का उच्चीकरण किया गया।

(घ) अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के प्रथम स्तरीय पद पर अर्थ एवं संख्या अधिकारी/सांख्यिकीय अधिकारी ग्रेड वेतन रू0 5400/– के पद के समतुल्य समान विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कम्प्यूटर में "ओ" लेवल की अर्हता निर्धारित है। सहायक सांख्यिकीय अधिकारी तथा सांख्यिकीय अधिकारी के पद की सीधी भर्ती, चयन प्रकिया व चयन का मापदण्ड सेवा नियमावली, 2012 में एक समान प्रावधानित है।

(ड़) उपर्युक्त इंगित तथ्यों पर विचार कर सहायक सांख्यिकीय अधिकारी का ग्रेड वेतन रू0 4200/– से उच्चीकृत कर रू0 4600/– एवं इसके पदोन्नति पद अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी के पद पर ग्रेड वेतन रू0 4800/– किये जाने की मॉग/प्रस्ताव किया गया है।

(3) उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :–

(i) वर्ष, 1983 से पूर्व प्रदेश में सांख्यिकीय संवर्ग के नोडल

विभाग अर्थ एवं संख्या प्रभाग में सांख्यिकीय संवर्ग के प्रारम्भिक स्तर के पद पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता गणित/सांख्यिकीय/गणितीय सांख्यिकीय/अर्थशास्त्र/कामॅस विषय के साथ स्नातकोत्तर उपाधि निर्धारित की गयी। संवर्ग के द्वितीय स्तर का पद शत प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था रखी गयी है।

जबकि प्रदेश के अन्य विभागों में प्रथम स्तर के पद पर गणित का सांख्यिकीय या गणितीय सांख्यिकीय विषय के साथ स्नातक उपाधि की अर्हता तथा द्वितीय स्तर के पद पर शत प्रतिशत पदोन्नत की व्यवस्था निर्धारित थी।

(ii) समता समिति (1989) की संस्तुतियों पर प्रदेश के अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग के पदों पर दिनांक 01 जनवरी, 1986 से केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर वेतनमान अनुमन्य कराने का निर्णय लिया गया।

(iii) वेतन समिति (1997-99)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार संवर्ग के पदों पर केन्द्र के समान वेतनमान अनुमन्य कराये गये तथा प्रथम स्तर के पद पर शैक्षिक अर्हता गणित/सांख्यिकीय/गणितीय सांख्यिकीय/अर्थशास्त्र/कामॅस विषय के साथ स्नातक उपाधि की अर्हता निर्धारित की गयी। साथ ही कार्मिक विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त विभागों के लिये अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग की मॉडल नियमावली बनाये जाने का निर्णय लिया गया।

परन्तु नोडल विभाग अर्थ एवं संख्या प्रभाग में निर्धारित अर्हता यथावत् बनी रही और कतिपय अन्य विभागों यथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा सांख्यिकीय संवर्ग के प्रथम स्तर के पद पर अर्थ एवं संख्या प्रभाग के समान अर्हता निर्धारित कर ली गयी।

(iv) वेतन समिति (2008) द्वारा अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियो पर विवरण निम्नवत् है :-

(क) समिति द्वारा केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर प्रत्येक विभागीय संवर्ग में उपलब्ध कुल पदों के

60 प्रतिशत पद प्रथम स्तर पर सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय) पदनाम से वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– तथा 40 प्रतिशत पद द्वितीय स्तर पर अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकीय) पदनाम से वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/– में रखे जाने की संस्तुति की गयी।

(ख) प्रदेश में सांख्यिकीय संवर्ग के नोडल विभाग, अर्थ एवं संख्या प्रभाग में अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग के प्रथम स्तर के पद पर वर्तमान में स्नातकोत्तर अर्हता निर्धारित है। सामान्य कोटि के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध होने के कारण प्रदेश के सभी विभागों में सम्बन्धित पदों पर एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदेश के सभी विभागों में नोडल विभाग के समान अर्हता रखे जाने की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों/प्रभागों में कार्यरत इस संवर्ग के कार्मिकों द्वारा अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का निवहन किया जा सकेगा। उक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा प्रदेश के सभी विभागों में सांख्यिकीय संवर्ग के प्रथम स्तर के पद पर एक समान व्यवस्था लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत प्रतिशत सीधी भर्ती तथा सीधी भर्ती हेतु गणित/ सांख्यिकी/ गणितीय सांख्यिकी/ अर्थशास्त्र/कामर्स में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा की अर्हता तथा संवर्ग के दूसरे स्तर के पद पर शत–प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था निर्धारित करने की संस्तुति की गयी।

(4) वेतन समिति (2008) द्वारा अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये :—

(i) प्रदेश में अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग में उपलब्ध द्विस्तरीय ढ़ाँचे की व्यवस्था बनाये रखी जाय।

(ii) अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग के प्रथम स्तर के पदों पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य वेतन बैण्ड–2,रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– को यथावत बनाये रखा जाये। संवर्ग के दूसरे स्तर के पदों पर वर्तमान वेतनमान रू0 5500–9000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 में ग्रेड वेतन रू0 4600/– दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक रुप से स्वीकृत करते हुए वास्तविक लाभ 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य कराया जाय।

(iii) प्रदेश के विभिन्न विभागों/प्रभागों में उपलब्ध अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए प्रत्येक विभागीय संवर्ग में उपलब्ध कुल पदों के 60 प्रतिशत पद प्रथम स्तर पर तथा 40 प्रतिशत पद द्वितीय स्तर पर रखे जायें।

(iv) प्रथम स्तर के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था रखी जाय। सीधी भर्ती हेतु गणित/ सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/कामर्स में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा की अर्हता निर्धारित की जाय। संवर्ग के दूसरे स्तर के पद पर शत–प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय।

(v) सभी विभागों/प्रभागों में प्रथम स्तर के पद का पदनाम सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय) तथा द्वितीय स्तर के पद का पदनाम अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकीय) रखा जाय।

(5) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूर्व में भी नोडल विभाग अर्थ एवं संख्या तथा कतिपय अन्य विभागों में सांख्यिकीय संवर्ग के प्रथम स्तर के पद पर स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता निर्धारित थी। परन्तु अर्हता के आधार पर उच्च वेतनमान अनुमन्य नहीं था। वेतन संगति (2008) द्वारा अर्हता के

आधार पर उच्च वेतनमान निर्धारित किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी। अपितु संवर्गीय ढाँचा (ढाँचें के स्तर , पदों की संख्या तथा वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर भी अनुमन्य कराने की सस्तुति की गयी।

(6) केन्द्रीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। सातॅवा केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियॉ दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू होने की सम्भावना है। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त आयोग के संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा भी अपने कार्मिकों के वेतनमान, भत्तें एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में यथावश्यकता विचार किया जायेगा।

(7) प्रदेश में अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग के पद पर निर्धारित अर्हता उच्च अर्हता के आधार पर केन्द्रीय समकक्षता से हटकर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में सभी दृष्टिकोण से गहन परीक्षण करते हुए सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जाना अपेक्षित होगा। उक्त परिदृश्य में सम्बन्धित प्रकरण प्रदेश में गठित की जाने वाली अगली वेतन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है।

समिति द्वारा की गयी संवीक्षा

4— उक्त प्रकरण पर विचार विमर्श के आधार पर समिति द्वारा की गयी संवीक्षा निम्नवत् है :—

(1) वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग का ढाँचा (ढाँचे के स्तर, पदों की संख्या तथा वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर निर्धारित किया गया है। उक्त स्थिति में अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग के पदों पर केन्द्रीय समकक्षता से हटकर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने का सम्प्रति अवसर नहीं है।

(2) केन्द्रीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में सातवें केन्द्रीय वेतन

आयोग की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। सातॅवा केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियॉ दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू होने की सम्भावना है। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त आयोग के संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा भी अपने कार्मिकों के वेतनमान, भत्तें एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में यथावश्यकता विचार किया जायेगा।

(3) केन्द्रीय समकक्षता से हटकर प्रदेश में सांख्यिकीय संवर्ग के पद पर भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता उच्च अर्हता के आधार पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में सभी दृष्टिकोण से गहन परीक्षण करते हुए सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। उक्त परिदृश्य में सम्बन्धित प्रकरण प्रदेश में गठित की जाने वाली अगली वेतन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना उचित होगा।

समिति की संस्तुतियॉ

5– उक्त परिदृश्य में सम्यक विचारोपरान्त समिति की संस्तुतियॉ निम्नवत् है :—

(1) वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग का ढॉचा (ढॉचे के स्तर, पदों की संख्या तथा वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर निर्धारित किया गया है। वेतन समिति (2008) द्वारा उच्च अर्हता निर्धारित करने की संस्तुत की गयी परन्तु वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन केन्द्र के समान ही अनुमन्य कराये जाने की संस्तुति की गयी। अतः संवर्ग के प्रथम स्तर के पद पर निर्धारित उच्च अर्हता के आधार पर केन्द्रीय समकक्षता से हटकर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने का अवसर नहीं है।

(2) केन्द्रीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। सातॅवा केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियॉ दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू होने की सम्भावना है। केन्द्र

सरकार द्वारा उक्त आयोग के संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा भी अपने कार्मिकों के वेतनमान, भत्तें एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में यथावश्यकता विचार किया जायेगा।

(3) केन्द्रीय समकक्षता से हटकर प्रदेश में अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग के प्रथम स्तर के पद पर भर्ती हेतु निर्धारित उच्च अर्हता निर्धारित करते हुए उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में सभी दृष्टिकोण से गहन परीक्षण करते हुए सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। अतः उक्त प्रकरण प्रदेश में गठित की जाने वाली अगली वेतन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(राहुल भटनागर)
सदस्य।

(राजीव कुमार)
सदस्य।

(आर0पी0 सिंह)
सदस्य।

(अजय अग्रवाल)
सदस्य–सचिव।

(आलोक रंजन)
अध्यक्ष।

दिनांकः 17 दिसम्बर, 2015 ।